फर्द अहकाम

राधेश्याम बनाम चिरंजीलाल

नाम न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या 26/2022

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	14/11/24	पक्षकारान के वकील उपस्थित। आज अभिभावक संघ फागी ने कार्य स्थगित किया है। पत्रावली माननीय आदेशानुसार दिनांक 29/11/24 को पेश हो।	
	29/11/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० पत्रावली वास्ते मूलपाठ के साथ दिनांक 9/12/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	
	9/12/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० पत्रावली वास्ते मूलपाठ के साथ दिनांक 13/1/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	
	13/1/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० पत्रावली वास्ते मूलपाठ के साथ दिनांक 17/2/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	
	17/2/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपस्थित। वकील प्रार्थी श्री सुनील कुमार जोशी ने स्वयं उपस्थित होकर अपने प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नही चलाकर इसी स्तर पर NOT PRESS करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के आधार पर प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को नोटप्रेस करने पर खारिज किया जाना उचित समझते है अतः प्रा. पत्र T.I. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं० से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। उपखण्ड अधिकारी फागी, जयपुर	Not Press 17/2/25